निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 17/प्रा0पत्र/20

राज0सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक,रसद विभाग झालावाड़

बनाम

मनीष खण्डेलवाल/मजनंदन खण्डेलवाल

मेसर्स मनीष स्वीट्स एण्ड नमकीन, बस स्टेण्ड झालावाड़

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत जब्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत्।

उपस्थितः– पेरोकार रसद
अप्रार्थी स्वंय

–: निर्णय :– दिनांकः 08.09.2020

यह प्रा0पत्र जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक,रसद विभाग झालावाड़ द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत पेश किया गया है। प्रा0पत्र के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिये दिनांक 20.02.2020 को जिला रसद अधिकारी,प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय झालावाड़ जांच हेतु पहुंचे, वक्त जांच दुकान पर मनीष खण्डेलवाल उपस्थित मिले जिन्होने स्वंय को दुकान का मालिक बताया। उस वक्त दुकान पर मिठाई,नमकीन बनाने का कार्य किया जा रहा था एवं उपभोक्ताओं से सामग्री का मूल्य वसूल किया जा रहा था। वक्त जांच दुकान की तलाशी लेने पर दुकान में 04 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एसपीसीएल/आईओसीएल क0 पाये गये जिसमें से 01 घरेलू गैस सिलेण्डर चूल्हे/भट्टी से जुडा चालू हालत में व्यवसायिक उपयोग में लेता पाया गया। दुकान पर अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग पाये जाने पर मौके पर मिले सिलेण्डर को बतौर सबूत सीज किया जाकर झालावाड़ एचपी गैस सर्विस,झालावाड़ के मेनेजर अब्दुल सलीम की सुपुर्दगी में दिया गया। जांच से स्पष्ट है कि उक्त द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करके एलपीजी लिक्वफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के क्लाज 3(1) (सी)व 4(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत जप्तशुदा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी स्वंय द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रा0पत्र व लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।

बहस सुनी गई । पेरोकार रसद द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि अप्रार्थी द्वारा अपनी दुकान में अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग कर रहा था जो एलपीजी लिक्वफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के क्लाज 3(1) (सी)व 4(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत सीजशुदा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किया जावे। इस पर अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रा0पत्र व लिखित बहस की पुष्टी करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी जानकारी के अभाव में घरेलू गैस सिलेण्डर को दुकान पर रखा गया था, दुकान में व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग किया जाता है व व भविष्य में व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का ही उपयोग अपने प्रतिष्ठान पर करेगा। प्रकरण से मुक्त किया जाकर जब्त सिलेण्डर को वापस अप्रार्थी को दिलवाया जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। पेरोकार सरकार द्वारा अपने प्रा0पत्र में अंकित किया गया है कि वक्त जांच मौके पर दुकान की तलाशी लेने पर दुकान पर 04 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एसपीसीएल/आईओसीएल क0 का पाया जाना व एक सिलेण्डर का चूल्हे से जुडे हुआ चालू हालत में व्यवसायिक उपयोग करते पाया जाने पर सीज किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब व लिखित बहस में अंकन किया है कि घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नही किया जा रहा था। अप्रार्थी का कथन मान्य नही है क्यों कि दौराने जांच घरेलू एलपीजी सिलेण्डर चालू हालत में व्यवसायिक उपयोग लेता पाया गया था जो फर्द मौका निरीक्षण व सुपुर्दगी से साबित है। इस प्रकार यह साबित है कि अप्रार्थी द्वारा अपनी दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक रूप से उपयोग किया गया है। अप्रार्थी के इस कृत्य को संरक्षण दिया जाना उचित नही है। हमारी राय में प्रा0पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा गैस सिलेण्डर एचपीसीएल क0 न0 942610, 066175, व आईओसीएल क0 न0 582855, 39096 को राजसात किया जाता है–जिला रसद अधिकारी उक्त राजसात सिलेण्डर का विधि द्वारा सुस्थापित प्रकिया अनुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करावें। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक. 08.09.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
झालावाड़